थार मरूस्थल पहुंची प्रवासी 'कुरजां पक्षी' ने रौनक बढ़ाई

पोकरण, (निसं)। सर्दियों की दस्तक के साथ ही थार मरुस्थल एक बार फिर प्रवासी पक्षियों के कलरव से गूंज उठा है। विदेशी मेहमान "कुरजां" (डेमोइसल सारस) ने जैसलमेर, रामदेवरा, देगराय ओरण और पोकरण क्षेत्र के तालाबों एवं सरोवरों में अपनी सुंदर उडान से रेगिस्तान की रौनक बढ़ा दी है।

जीव-जंतु एवं पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह सातवां ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी ये प्रवासी पक्षी मध्य एशिया, साइबेरिया, ईरान और अफगानिस्तान से हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर थार के विस्तृत रेतीले विस्तारों में पहुंचे हैं। ये नवंबर से अप्रैल तक यहां विश्राम करते हैं और प्रजनन क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार हाल ही में तालाबों के आसपास कुरजों के बडे झुंड दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति में "कुरजां" का विशेष स्थान है। लोकगीतों में यह पक्षी प्रेम और विरह का प्रतीक माना गया है।

प्रसिद्ध गीत कुरजां संदेशों लेती जाईजे रेज में विरहिणी नारी अपने पिया को संदेश भेजने के लिए इसी पक्षी को संदेशवाहक बनाती है। प्राचीन परंपरा के अनुसार, कभी-कभी प्रेम संदेश कुरजां पक्षी के पंखों पर लिखकर भेजे जाते थे, इसलिए यह पक्षी लोकभावनाओं में सजीव प्रेम का प्रतीक बन चुका है।

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि इन प्रवासी पक्षियों का आगमन न केवल पर्यावरणीय संतुलन का सूचक है, बल्कि यह थार की जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का भी परिचायक है।

जहां-जहां इनके झुंड ठहरते हैं, वहां प्रकृति की सुंदरता और जीवन्तता का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। वन्यजीव एवं पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह सातवां ने बताया कि कुरजां एक अत्यंत संवेदनशील और साहसी प्रवासी पक्षी है। हर वर्ष ये मध्य एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया, ईरान और अफगानिस्तान से लगभग 4,000 से 8,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर राजस्थान पहुंचते हैं। यह प्रवास आसान नहीं होता। रास्ते में कठोर मौसम, शिकारी पक्षी, तेज हवाएं और भोजन पानी की कमी जैसे कई खतरे इनका पीछा करते हैं। इसके बावजूद इनका सामूहिक अनुशासन और उडान व्यवस्था प्रकृति का अद्भुत करिश्मा माना जाता है।

जानकारों के अनुसार, यह प्रवास मुख्यत: नवंबर माह से शुरू होकर अप्रैल तक जारी रहता है। इस दौरान ये थार के शांत और खुले जल स्त्रोतों के आसपास भोजन, विश्राम और प्रजनन गतिविधियों में संलग्न रहते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले सप्ताह से स्थानीय तालाबों पर कुरजां के दर्जनों झुंड उतरने लगे हैं, जिससे सुबह और शाम का दृश्य अत्यंत मनोहारी बन गया है।

हालांकि विशेषज्ञों ने चेताया कि बढ़ते शहरीकरण, जलस्त्रोतों के सूखने, प्रदूषण और अवैध शिकार जैसे खतरों के चलते इन प्रवासी पक्षियों को अब पहले जैसी सुरक्षित उड़ान नहीं मिल पाती। मौसम परिवर्तन के कारण प्रवास का समय और संख्या में हल्की गिरावट के संकेत भी देखे गए हैं। ऐसे में जलस्त्रोतों का संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

थार में कुरजां का आगमन केवल मौसमी बदलाव का संकेत भर नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव संवेदनाओं के अनूठे संगम की कहानी भी है। इन प्रवासी पक्षियों के कलरव से जहां रेगिस्तान की नीरवता में जीवन का संचार होता है, वहीं लोकगीतों से लेकर लोकमानस तक इनका गहरा जुड़ाव राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का गौरव बढ़ाता है। यदि स्थानीय समुदाय और प्रशासन मिलकर प्राकृतिक जलस्त्रोतों व आवास स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करें, तो आने वाली पीढ़ियों को भी हर वर्ष कुरजां के स्वागत का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा।

घी के नमूने लिए

बाड़मेर, (नि.सं.)। शुद्ध आहार मिलावट के वार अभियान के तहत मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) डॉ संजीव कुमार मित्तल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जांगिड़ की ओर से धोरीमन्ना में दबिश दी गई। इस दौरान घी शक्ति भोग और घी गोमेत्रि के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा ने तिरसंगडी, थोब एवं पाटोदी में कार्यवाही करते हुए घी मुरली कृष्णा, घी आर एन ए सारस घी डेयरी भोग, घी सुदर्शन, घी बिलोना, घी मुरली भोग, घी संयम, रिफाइन सोयाबीन तेल हिरण और चाय ट्रेक्टर के नमूने लिए। साथ ही 225 तेल और 75 लीटर घी मिलावट होने के संदेह के आधार पर मौक़े पर सीज किया गया। इन नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया हैं।

नमूनो की जांच रिपोर्ट आने के बाद न्यायिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। खाद्य सुरक्षा टीम की ओर से दुकानों और गोदाम को खुलवाकर चेक किया जाकर कार्यवाही की जा रही है। सीएम्एचओ डॉ संजीव मित्तल ने आमजन से आ ान किया है कि नकली और मिलावटी घी बेचने वाले मिलावटखोरो के खिलाफ जिला कलक्टर बाड़मेर अथवा अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) बाड़मेर को सुचना दे, ताकि मिलवाटखोरो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। शुद्ध आहार मिलावट वार अभियान के तहत मिलावटखोरो के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

रांकावत लीग में पाली बनी विजेता, बिरामी उपविजेता

पाली, (नि.सं.)। श्री रांकावत विकास समिति पाली एवं समस्त गोडवाड़ रांकावत समाज के युवाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता का आज समापन्न हुआ हुआ। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता इस वर्ष 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक किया गया।

मीडिया प्रवक्ता धर्मेंद्र वैष्णव ने बताया कि मंगलवार को फाइनल मैच कनक टीम पाली और रॉयल बिरामी के बीच हुआ। जिसमें पाली विजेता रही। टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन कन्हैया 198 रन बनाए। वही बेस्ट बॉलर में यश रांकावत ने 16 विकेट लिए।

मुख्य अतिथियों बाबुलाल नानेचा राष्ट्रीय अध्यक्ष अ.भा. रा. बा. सभा रमेश चंद वैष्णव, नंदकिशोर शर्मा, लहरी दास जी, कोच, ओमप्रकाश विजयवाड़ा के द्वारा आयोजक हरिओम शास्त्री मैं विजेता पाली टीम, उपविजेता बिरामी, तीसरे स्थान की पुणे टीमो को ट्रॉफी प्रदान की और खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और जीतने की राशि प्रदान की। इसके साथ अंपायर महिपाल सिंह, मोहित, विष्णु, जगदीश को दुपट्टा पहना कर स्वागत किया।

कार्यक्रम के सहयोग में पवन तु कारिया, अरुण गोयल, सुरेंद्र, योगेंश रांकावत दिलीप रोठागण, रोहित का सहयोग रहा। भजन संध्या एक शाम चारभुजा के नाम एवं भामाशाहो का सम्मान किया गया। एनाउंसर निर्मल रांकावत ने बढ़िया एंकरिंग की प्रतियोगिता मे मारवाड़, गोडवाड़, गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब गोवा राजस्थान के कई शहरों से आए लोग भाग ले रहे हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से 12 टीमें भाग ले लिया था, कनक टीम पाली दूसरी बार विजेता बनी। कप्तान हंसमुख को सभी ने माला पहना स्वागत किया।

नोखा विकास अधिकारी के निलम्बन आदेश पर रोक

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर ने पंचायत समिति नोखा जिला बीकानेर में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत भोमसिंह इंदा की अपील को अंतरिम रूप से ग्राह्य करते हुए उसके निलम्बन आदेश दिनांक 10 जुलाई 2025 पर अन्तरिम रोक लगाई है।

बीकानेर निवासी भोमसिंह इंदा जो वर्तमान में विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति नोखा जिला बीकानेर में कार्यरत है उसको शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश दिनांक 10 जुलाई 2025 को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। निलम्बन के पश्चात् उसका मुख्यालय भी बीकानेर के स्थान पर बाड़मेर कर दिया गया।

विभाग द्वारा उसके निलम्बन के सौ दिन पश्चात् भी किसी तरह की चार्ज शीट या विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी केवल उसकी सेवाओं को ही निलम्बित किया गया। विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर उसने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की। अधिकरण के समक्ष अधिवक्ता का यह तर्क था कि कार्मिक विभाग द्वारा 12 अप्रेल 2022 को निलम्बित कार्मिकों के संदर्भ में परिपत्र जारी किया गया है एवं उसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि कार्मिक को 45 दिन तक निलम्बन के पश्चात विभागीय जांच प्रारम्भ नहीं की जाती व उसे कोई किसी तरह का आरोप पत्र जारी नहीं किया जाता तो कर्मचारी का निलम्बन स्वत: ही समाप्त समझा जायेगा। वर्तमान अपील में भोमसिंह इंदा को निलम्बन के पश्चात् ना तो कोई आरोप पत्र जारी किया गया ना ही विभागीय जांच प्रारम्भ की गयी। विभाग का कृत्य कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र के प्रतिकूल है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने कथन के सर्मथन में सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायिक दृष्टांतों का भी हवाला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई न्यायिक दृष्टांतों में यह प्रतिपादित किया है कि किसी भी कर्मचारी को उसके निलम्बन के पश्चात् 90 दिन के भीतर आरोप पत्र जारी करना ही होगा, अन्यथा उसे बहाल किया जाना आवश्यक होगा।

अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए अधिकरण ने कार्मिक के निलम्बन आदेश से 100 दिन व्यतीत होने पर भी किसी तरह का आरोप पत्र या विभागीय कार्यवाही को प्रारम्भ नहीं करने को अनुचित एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12 अपे्रल 2022 के विरूद्ध माना। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के विरूद्ध मानते हुए पंचायती राज विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया व निलम्बन आदेश दिनांक 10 जुलाई 2025 पर अन्तरिम रोक लगायी।

दिव्यांगजन शिविर आयोजित

बाड़मेर, (नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के तहत बाड़मेर जिले में दिव्यांगजनों को संबल प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे सुगम्य बाड़मेर अभियान के तहत गुड़ामालानी पंचायत समिति मुख्यालय पर दिव्यांगजन शिविर आयोजित हुआ।

शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि इस दौरान शिविर में 335 दिव्यांगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इनमें से चिकित्सा विभाग की ओर से 335 दिव्यांगों की यूडीआईडी कार्ड के लिए स्क्रीनिंग की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पालनहार योजना के 4 नवीन आवेदन स्वीकृत करने के साथ सत्र 2025-26 के 21 नवीनीकरण से लंबित दिव्यांग पालनहार आवेदनों का मौके पर सत्यापन किया। उन्होंने बताया कि 81 दिव्यांगों का कृत्रिम अंग उपकरण के लिए चिह्नीकरण किया गया तथा 25 सहायक अंग उपकरण वितरित किए गए। 22 दिव्यांगों को रोडवेज सेवा के पास जारी किए गए।

सम्मन बनाम मुदायलाह बिनावर कायमी तनकीयात

(ओ. 5 रूल 1 व जाब्ता दीवानी)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर, आहोर मुकाम आहोर, जिला जालोर।

इजलास श्री सॉवरमल रैगर

मुदई हंसाराम बनाम मुदायलाह के.पी.सेवा शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष हनुप्रजापति वगैरा दावा बाबत् - खातेदारी हक घोषणा, दुरुती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88,89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर राजस्व वाद संख्या -124/2025

मुसम्मी -1. के.पी.सेवा शिक्षण संस्थान जरिये हनु प्रजापति पुत्र कुईयाराम, जाति प्रजापत, निवासी मादडी हाल निवासी सुरेश्वर कॉम्पलेक्स, गौशाला रोड आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.).

हरगाह कि वादीगण ने आपके खिलाफ एक दावा बाबत् खातेदारी हक घोषणा, दुरुती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम यहां दायर किया है, लिहाजा आपकों बजरियें इस तहरीर के दावें की जवाब देही के लिए तरीख 19 माह 12 सन् 2025 को 10:00 बजे दिन के अदालत हाजा में अंसालतन या मारफत ऐसे वकील के जो हालत मुकदमे के वाकिफ किया गया हो व कुल अमूर अदम मुताबिक जवाब दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई शख्स हो जो ऐसे सवाला का जवाब दे सके हाजिर रहने के लिए तलब किया जाता है और आपकों हिदायत की जाती है कि जुमले दस्तावेजात् जिस पर आप अपनी जवाबदेही का ताईद में इस्तेमाल करना चाहता है तो उस दिन पेश करों। आगाह रहों कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न हुए तो दावा आपकों गैर हाजरी में सुना व फैसला किया जायेगा। बसिब्त मेरे दस्तखत व अदालत के आज तारीख 27 माह 10 सन 2025 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला - जालोर (राज.)

दो सूने मकानों में चोरी

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट के जिला पूर्व एवं पश्चिम के दो थाना क्षेत्र में चोरी की घटना हुई। एक में परिवार दिवाली मनाने पंजाब गया था, दूसरे में परिवार के लोग पिता से मिलने पाली गए थे। एक में पीड़ित हाईकोर्ट का कार्मिक बताया जाता है।

मंडोर पुलिस ने बताया कि रामपुरा भाटियान डाडियों का बास मथानिया हाल मगजी की घाटी निवासी जितेंद्र पुत्र घेवरराम राणा ने बताया कि वह 25 अक्टूबर को अपने पिता से मिलने पाली गुड़ाएंदला गया था। उसके साथ में मां और बहन भी थी। 27 को वापिस लौट रहा था तब भाई विशाल का फोन आया कि घर के ताले टूटे है। वह अपने मां पिता को साथ लेकर जोधपुर आ गया। घर आने पर पता लगा कि चोरों ने ताले तोडक़र घर में पलंग के नीचे बक्से से सोने का 3 तोला नेकलेस मय कानों के पत्तें, हाथ की पुणच सवा दो तोला, कानों के बाला आधा तोला, रखड़ी सेट आधा तोला, कानों की झूमरियां दो तोला और चांदी के 20 तोला छड़ा जोड़ी, दस दस तोले की दो पायजेब जोडिय़ां, चांदी के दो सिक्कें, मादलिया, नाक की फीणी आदि चोरी कर ले गए है। सूचना के बाद मंडोर पुलिस ने मौका मुआयना किया। अब चोरों का पता लगाया जा रहा है।

दूसरी तरफ कुड़ी भगतासनी पुलिस ने बताया कि सेक्टर 8 एफ निवासी सुमित श्रीवास्वत ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वे हाईकोर्ट में लगे हुए है। 18 अक्टूबर को दिवाली मनाने अपने भाई के पास पंजाब मोहाली गए थे। वापिस 25 की रात को लौटे, तब मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। मगर अंदर जाने पर अन्य ताले खुले मिले। पलंग पर सारा सामान बिखेरे हुए था। चोरों ने घर में सैंध लगाकर वहां से 4 चांदी के सिक्कें, सोने के कानों की टॉप्स, दो चांदी के छोटे लोटे, चार गैस बर्नर, सारे घर के सैनेट्री सामान चार नल, चार वाल्व और पाइप फिटिंग इत्यादि चोरी कर गए।

कार्यालय नगर परिषद जालोर (राजस्थान)

(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर -343001)

Tel. (02973) 222270 E-mail : mbjalore24@yahoo.in

क्रमांक:- नपजा/राजस्व/2025/1853 दिनांक : 16/06/2025

॥ आपत्ति विज्ञप्ति ॥

श्री चम्पालाल पुत्र संकलारामजी, जाति - माली, निवासी - भाग्यश्री नगर धवला रोड - जालोर ने एक भुखण्ड / मकान के नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भुखण्ड जालोर की आबादी भुमि जालोर सी के खसरा नम्बर - 6914/2479 बनाव भाग्यश्री नगर धवला रोड में मेरा एक रहावासीय भूखण्ड आया हुआ है, जिसका पट्टा पत्रावली क्रमांक -149/2017-18 रजि. संख्या - 26, लीजडीड सं. 55/2018 -19, दिनांक - 03.08.2018 को श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नवारामजी जाति - गवारिया के नाम से नगर परिषद जालोर द्वारा जारी किया गया है उक्त भूखण्ड को श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र नवारामजी जाति - गवारिया ने श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी गंगारामजी, जाति - राजपूत को दिनांक 20.05.2019 को बैचान किया। उसके बाद श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी गंगासिंहजी जाति - राजपूत ने श्री चम्पालाल पुत्र संकलारामजी, जाति - माली, निवासी - भाग्यश्री नगर धवला रोड जालोर, को दिनांक 19.08.2021 को बैचान किया। प्रार्थी ने अपने नाम से नामांतरण चाहा गया है। उक्त आवासीय प्लॉट के पडौस एवं चतुर्सीमा निम्न प्रकार है -

उत्तर :- आवासीय भुखण्ड संख्या - 06, यह भुजा 50 फीट है।
दक्षिण :- आवासीय भुखण्ड संख्या - 08, यह भुजा 50 फीट है।
पूर्व :-आवासीय भुखण्ड संख्या - 34, यह भुजा 30 फीट है।
पश्चिम :- मुख्य सडक, यह भुजा 30 फीट है।

अत: सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्ति मय दस्तावेज साक्ष्य सहित निम्नहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। इस प्रकरण से संबंधित प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान इस कार्यालय के राजस्व अनुभाग में आकर किया जा सकेगा।

अवगत रहें।

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

चेन स्नेचिंग गैंग का खुलासा, गुजरात के चार लोग गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जोधपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग महिलाओं को टैक्सी में बिठाकर चेन लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। महामंदिर थाना पुलिस ने इस गिरोह के चार सदस्यों भीखा भाई, जफर भाई, पारूल देवी और गोमती को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी गुजरात से नई टैक्सियां लाकर शहर में शेयरिंग सवारी के बहाने से वारदातों को अंजाम देते थे। सूत्रों के अनुसार, गिरोह में दो महिलाएं और कुछ बच्चे भी शामिल थे, ताकि टैक्सी में बैठे लोगों को कोई संदेह न हो। सवारी के रूप में बिठाई गई महिलाओं के गले से आरोपी मौका पाकर सोने की चेन झपटकर फरार हो जाते थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कई घटनाओं की पुष्टि की है। प्रारंभिक पूछताछ में चार वारदातों का खुलासा हो चुका है, जबकि अन्य मामलों की जांच जारी है।

जानकारी के अनुसार शहर के महामंदिर चौराहा भदवासिया रोड पर सोमवार को एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन पार हो गई। इस घटना से पहले भी पिछले तीन महिनों में शहर में इस तरह की आधा दर्जन वारदातें हो रखी थी। बार-बार हो रही घटनाओं को कमिश्नरेट पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन करते हुए गुजरात की एक गैंग का खुलासा किया है। इसमें दो महिलाएं एवं दो पुरूष शामिल है। महिलाएं अपने साथ नवजात शिशु को भी साथ रखती है ताकि सवारी बैठने पर वे परिवार के लगे। इस गैंग से अब तक की जांच में गत दिनों हुई लगभग सभी वारदातों का खुलासा पुलिस ने आज किया है।

पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने बताया कि शहर में पिछले कुछ दिनों से ऑटो में बैठने वाली बुजुर्ग महिलाएं-पुरूषों के गले से सोने की चेन, बैग से रूपए या अन्य गहनों की चोरी हो रही थी। कमिश्नरेट के जिला पूर्व एवं पश्चिम में लगभग आधा दर्जन घटनाएं हो गई थी। सोमवार को विश्वकर्मा नगर भदवासिया की रहने वाली बुजुर्ग महिला 65 साल की आशा देवी पत्नी ज्ञानचंद जैन ने महामंदिर चौराहा पर एक ऑटो को किराया किया था। उन्हें भदवासिया अपने घर जाना था। मगर ऑटो का चालक अन्य रास्ते से ले जाने लगा। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। तब ऑटो वाले उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया और दो मिनट में आने का कहने लगा। इस बीच ऑटो में बैठी दो महिलाएं और एक व्यक्ति आपस में एक दूसरे का धकेलने लगे। तब मौका लगने पर आशादेवी के गले में पहनी सोने की चेन पार हो गई। उन्होंने अपने गले पर फेरा, तब इसका पता लगा। बाद में उनकी तरफ से महामंदिर थाने में इस बाबत केस दर्ज कराया गया। कमिश्नर ओमप्रकाश ने स्वयं इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी की और टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कार्यालय नगरपालिका, सांचौर जिला-जालौर (राज.)

(टेलिफोन नम्बर-02979-283280 व ई-मेल आई.डी. eosanchore.lsg@rajasthan.gov.in & eosanchore2010@gmail.com)

क्रमांक / न.पा.सां. / 2025 / 4486 दिनांक : 17.10.2025

-:: आपत्ति विज्ञप्ति ::-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पालिका परिक्षेत्र में निम्नाकिंत आवेदनकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत कार्यालय में लम्बित 69-क पत्रावलियों के तहत पट्टा जारी करने हेतू मांग की है, इस बाबत् किसी व्यक्ति / आस-पडौस को आपत्ति हो तो 3 दिवस मंय सबुत के साथ उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद म्याद गुजरने पर कोई आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे जो पत्रावलियों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. स.	पत्रावली सं. / दिनांक	प्रार्थी का नाम / पिता का नाम	मौहल्ला	भूमि का क्षैत्रफल वर्ग गज / वर्ग मी.	नियमन हेतू	प्रयोजनार्थ
1	LD/SNCH/2025-26/280117	श्री केहराराम पुत्र श्री लालाराम जाति-रेबारी	डबाल रोड़, सांचौर	418.21	69-क	आवासीय
2	LD/SNCH/2025-26/287520	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री हीरालाल उर्फ हरचंद शाह जाति-जैन	नया मोचियो का वास, हाडेचा रोड के पास, सांचौर	139.40	69-क	आवासीय
3	LD/SNCH/2025-26/287573	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री हीरालाल उर्फ हरचंद शाह जाति-जैन	नया मोचियो का वास, हाडेचा रोड के पास, साचौर	139.40	69-क	आवासीय
4	LD/SNCH/2025-26/255447	श्री दलपतराज पुत्र श्री धन्नाराम जाति-धांधी	गोपाल नगर, सांचौर	139.40	69-क	आवासीय
5	LD/SNCH/2025-26/293359	श्री हरचंदराम पुत्र श्री उदाराम जाति-कलबी	मौजा, सांचौर	83.64	69-क	आवासीय
6	LD/SNCH/2025-26/293910	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री उदाराम जाति-वैष्णव	मांजूनगर सांचौर	338.75	69-क	आवासीय
7	LD/SNCH/2025-26/278422	श्री दलपत पुत्र श्री गिरधारी जाति-नट	नट कॉलोनी, दादावाडी, सांचौर	41.82	69-क	आवासीय
8	LD/SNCH/2025-26/289179	श्रीमति रीमादेवी पत्नि श्री जितेन्द्र कुमार जाति-अग्रवाल	महादेव नगर, हाडेचा रोड, सांचौर	160.31	69-क	आवासीय
9	LD/SNCH/2025-26/302768	श्रीमति सरोज पत्नि श्री जगदीश जाति-खटीक	भारत नगर कॉलोनी, सांचौर	139.40	69-क	आवासीय
10	LD/SNCH/2025-26/280191	श्रीमति लूंगादेवी पत्नि श्री लालाराम जाति-रेबारी	डबाल रोड़, सांचौर	418.21	69-क	आवासीय
11	LD/SNCH/2025-26/267945	श्री गोविन्दराम पुत्र श्री रडमलराम जाति-जीनगर	रामदेवजी मंदिर के सामने जीनगर कॉलोनी, सांचौर	83.64	69-क	आवासीय
12	LD/SNCH/2025-26/299857	श्री कानजीराम पुत्र श्री जगाराम जाति-कलबी	डूंगरा का गोलिया, सांचौर	230.11	69-क	आवासीय
13	LD/SNCH/2025-26/300136	श्री वगताराम, सांवलाराम पुत्र श्री हरदा जाति-कलबी	मेहता मार्केट के पास, रानीवाडा रोड़, सांचौर	245.91	69-क	वाणिज्यक
14	LD/SNCH/2025-26/301377	श्री टिकमचद पुत्र श्री किशनाराम जाति-जटिया	रामदेव कॉलोनी, सांचौर	66.45	69-क	आवासीय
15	LD/SNCH/2025-26/291919	श्री भीखाराम पुत्र श्री देवाराम जाति-लोहार	इन्द्रा कॉलोनी, सांचौर	456.14	69-क	आवासीय
16	LD/SNCH/2025-26/282136	श्री बाबुलाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति-गवारीया	इन्द्रा कॉलोनी, सांचौर	203.86	69-क	आवासीय
17	LD/SNCH/2025-26/289248	श्री श्याम चौधरी पुत्र श्री अमराराम जाति-कलबी	गोपाल नगर, सांचौर	236.98	69-क	आवासीय
18	LD/SNCH/2025-26/277848	श्री ईशराराम पुत्र श्री काजाराम जाति-कलबी	डुंगरा का गोलिया, सांचौर	601.1	69-क	आवासीय
19	LD/SNCH/2025-26/300394	श्री रानीदान, विसनदान, लक्ष्मणदान पुत्र श्री दयालदान जाति-चारण	विवेकानंद सर्किल से चार रास्ता सड़क पर स्थित सांचौर	158.73	69-क	वाणिज्यक
20	127/2025	श्री विनोद पुत्र श्री एलकार जाति-नट	नट कॉलोनी, सांचौर	97.58	69-क	आवासीय
21	LD/SNCH/2025-26/300010	श्री कैलास कुमार पुत्र श्री जवाराम जाति-भाट	इन्द्रा कॉलोनी, सांचौर	208.00	69-क	आवासीय
22	LD/SNCH/2025-26/301782	श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री वीराजी जाति-राव	सुभाष नगर, बस स्टेण्ड के पास, सांचौर	828.62	69-क	वाणिज्यक
23	LD/SNCH/2025-26/303454	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मलाराम जाति-खटीक	भारत नगर कॉलोनी, सांचौर	139.40	69-क	वाणिज्यक

राज.संवाद / सी / 25 / 12735 अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगरपालिका, सांचौर जिला-जालौर (राज.)

(टेलिफोन नम्बर-02979-283280 व ई-मेल आई.डी. eosanchore.lsg@rajasthan.gov.in & eosanchore2010@gmail.com)

क्रमांक / न.पा.सां. / 2025 / 4437 दिनांक : 15.10.2025

-:: आपत्ति विज्ञप्ति ::-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पालिका परिक्षेत्र में निम्नाकिंत आवेदनकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत कार्यालय में लम्बित 69-क पत्रावलियों के तहत पट्टा जारी करने हेतू मांग की है, इस बाबत् किसी व्यक्ति / आस-पडौस को आपत्ति हो तो 3 दिवस मंय सबुत के साथ उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद म्याद गुजरने पर कोई आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे जो पत्रावलियों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. स.	पत्रावली सं. / दिनांक	प्रार्थी का नाम / पिता का नाम	मौहल्ला	भूमि का क्षैत्रफल वर्ग गज / वर्ग मी.	नियमन हेतू	प्रयोजनार्थ
1	LD/SNCH/2025-26/178836	श्री किशनलाल पुत्र श्री हरखचंद जाति-बोकडीया जैन	बोकडीया वास, सांचौर	85.81	69-क	आवासीय
2	LD/SNCH/2025-26/177667	श्रीमति ज्योतिदेवी पत्नि श्री मफतलाल जाति-बोकडीया जैन	बेहलिमो का वास सांचौर	213.28	69-क	आवासीय
3	LD/SNCH/2025-26/202411	श्रीमति लतादेवी पत्नि श्री विजय जाति-पनपालिया श्रीमति सीमादेवी पत्नि शंकरलाल जाति-माहेश्वरी	सुभाष नगर कॉलोनी, सांचौर	227.69	69-क	वाणिज्यक
4	LD/SNCH/2025-26/293899	श्री मोहनलाल पुत्र श्री चतराराम जाति-माली	थरादा रोड़ एनएच-68, सांचौर	215.93	69-क	वाणिज्यक
5	LD/SNCH/2025-26/293475	श्री माधाराम, भगवानाराम, सोनाराम, मानाराम पुत्र श्री वेलाराम व श्री खंगाराराम, नरसिंगाराम पुत्र श्री छोगाराम व श्री अशोक कुमार, हरीश कुमार, लक्ष्मण पुत्र श्री जेठाराम जाति-पुरोहित	ब्राह्मणो का वास, सांचौर	855.50	69-क	आवासीय
5	LD/SNCH/2025-26/294058	श्री मुकेश कुमार, हरेश कुमार, प्रवीण कुमार, कल्पेश कुमार पुत्र श्री धर्मचंद, जाति-ओसवाल	महावीर नगर कॉलोनी, सांचौर	184.014	69-क	वाणिज्यक
6	LD/SNCH/2025-26/282050	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री हरीश कुमार जाति-राजपुरोहित	काजा का गोलिया	302.04	69-क	आवासीय
7	LD/SNCH/2025-26/291283	श्री ओखाराम पुत्र श्री काजाराम जाति-कलबी	डूंगरा का गोलिया	230.11	69-क	आवासीय
8	LD/SNCH/2025-26/293872	श्री मोहनलाल पुत्र श्री चतराराम जाति-माली	विवेकानंद सर्किल से रानीवाडा, जानवी हाउस के सामने, सांचौर	222.6	69-क	वाणिज्यक
9	LD/SNCH/2024-25/188821	श्री मनोहरलाल पुत्र श्री भगवानाराम जाति-विश्नोई	झेरडिया वास, सांचौर	162.15	69-क	आवासीय
10	LD/SNCH/2025-26/211018	श्री जैसाराम पुत्र श्री फुसाराम जाति-विश्नोई	काजा का गोलिया, सांचौर	297.39	69-क	आवासीय
11	LD/SNCH/2025-26/282907	श्रीमति अनिताबेन पत्नि श्री मोतीलाल व श्री नमन, किस पुत्र श्री मोतीलाल जाति-ओसवाल	शांतिनगर, सांचौर